(भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

संख्या 11/1/85-स्था० (वेतन-1)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल, 1986

अधिसूचना

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, मूल नियमों में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1- (1) इन नियमों का नाम मूल (प्रथम संशोधन) नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2- मूल नियमों के नियम 31 के उप-नियम (2) में, विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"परन्तु यह तब जबकि ऐसा निम्नतर स्थानापन्न पद नियमित आधार पर धारण किया गया था या इस प्रकार धारण किया गया होता यदि किसी अन्य काडर या काडर बाह्य उच्चतर पद पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य न किया होता ।"

एस० हरिहरन

(एस० हरिहरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।

संख्या 1/1/85-स्था0(वेतन-1) नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल, 1986

प्रति संलग्न सूची के अनुसार अग्रेषित :-

टिप्पण:- इस नियम को पहले नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार संशोधित किया गया था ।

1- वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2(ए)-ई.111/61 तारीख 1-2-1963

2- वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1(25)-ई.111(क)/64 तारीख 30-11-1965

3- वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1(3)-ई.111(क)/64-खण्ड-11 तारीख 18-7-1967

4- वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1(25)-ई.111(क)/64 तारीख 27-5-1970

5- वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1(क)-ई.111(क)/74 तारीख 30-10-1974

6- गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1(6)-पेंशन एकक-1/79 तारीख 23-11-1979

7- गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/9/79-स्था0(वेतन-1) तारीख 6-10-1983

8- गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 13/5/84-स्था0(वेतन-1) तारीख 17-8-1984

9- कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 13/5/84-स्था0(वेतन-1) तारीख 24-9-85